फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

ए डी एम चतुर्थ बनाम कमलादेवी व अन्य

केस संख्या 159/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
02.11.2021	पत्रावली पेश हुई । अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक आर ए/21/1710 दिनांक 12.10.2021 से न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 463/2018 सरकार बनाम कमला देवी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में ट्रान्सफर किये जाने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से प्राप्त पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने अपने पत्र में अंकित किया है कि न्यायालय में विचाराधीन रेफरेन्स प्रकरण संख्या 463/2018 ब उनवानी सरकार बनाम कमला देवी में कमलेश पुत्र स्व. श्री प्रभू दयाल द्वारा राजनैतिक व्यक्तियों से तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों से दबाव डलवा कर बिना न्यायिक प्रकिया अपनाये ही स्वयं के पक्ष में निर्णय कराने के लिए पीठासीन अधिकारी पर विचाराधीन प्रकरण में पद का दुरूपयोग कर न्याय में विलम्ब करने के संबंध में शिकायत की गई है। इसलिए शिकायत को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया है। चूंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण में कमलेश पुत्र स्व. श्री प्रभू दयाल द्वारा मामले के निस्तारण को लेकर पीठासीन अधिकारी की शिकायत की गई है। इसलिए न्यायहित में उक्त पत्रावली संख्या 463/2018 ब उनवानी सरकार बनाम कमला देवी को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर में ट्रान्सफर किया जाता है। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जा कर मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर से कम हो। 2/11/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर	